राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: टीपीआर 9118 / Adhoc / SDM.JDM / 2021 दिनांक: 28 JAN 2022

आदेश

राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के प्रावधानान्तर्गत; नगर नियोजन विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर आवश्यक/अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए; निम्नांकित चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक रुपये 18,500/– प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्द्वारा पदस्थापन किया जाता है :–

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	आवेदक की श्रेणी	चयन श्रेणी	पदस्थापन स्थान
1.	बलवीर कौर	जोगेन्द्र सिंह	UR	UR (W)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
2.	निशा जैन	राकेश जैन	EWS	UR (W)	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
3.	वीर प्रताप सिंह जादौन	भरत सिंह जादौन	EWS	UR	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
4.	विकास कुमार जांगिड़	बाबूलाल जांगिड़	UR	UR	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5.	भास्कर शुक्ल	अमर चन्द गुर्जर	MBC	UR	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6.	नूतन सैनी	गोपाल सैनी	BC	UR	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
7.	मुकेश कुमार	जयमल राम	BC	UR	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
8.	बृज मोहन डाबी	रामेश्वर डाबी	ST	ST	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर
9.	अनिता सिंह गुर्जर	सतीश कुमार गुर्जर	BC	BC (W)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10.	अक्षय मिश्र	चन्द्र शेखर मिश्र	EWS	EWS	कार्यालय उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर
11.	विशाल बागोरिया	जगदीश प्रसाद बागोरिया	SC	SC	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा
12.	मुकेश कुमार गुर्जर	कल्याण सहाय गुर्जर	MBC	BC	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
13.	कपिल देव	लल्लू लाल	SC	SC	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	आवेदक की श्रेणी	चयन श्रेणी	पदस्थापन स्थान
14.	अमित कलाल	मणि लाल कलाल	BC	BC	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः आवश्यक/अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर 06 माह की अवधि अथवा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी एवं इससे किसी भी अभ्यर्थी को विभाग में नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। **अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ–पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।**
2. किसी भी ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी को जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
3. किसी भी ऐसी महिला अभ्यर्थी को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
4. किसी भी विवाहित पुरुष/महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

   स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिरोध एक्ट, 1961 (सेन्ट्रल एक्ट, 28 ऑफ 1961) में है।
5. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01–06–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानें पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
6. ऐसे अभ्यर्थी जो धूम्रपान या गुटखा सेवन करते हैं, वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
7. अभ्यर्थियों को, उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 06 पर उल्लेखित शपथ–पत्र, पृथक–पृथक नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर, कार्यग्रहण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
8. शासन के परिपत्र क्रमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22–05–2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। विवाहित अभ्यर्थियों को तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम अच्छा का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
10. इस नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में, अभ्यर्थी को आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये

जिससे सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

11. कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियम 10 के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण–पत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

12. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

13. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण कभी भी संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

14. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी; इस नियुक्ति आदेश में उल्लेखित नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।

15. अभ्यर्थी की आवश्यक/अस्थाई नियुक्ति, उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

16. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

28/01/2022

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः टीपीआर 9118/Adhoc/SDM.JDM/2021

दिनांक: 28 JAN 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.3(5)नविवि/II/2014 पार्ट दिनांक 23.09.2021 के क्रम में।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर।
5. उप नगर नियोजक, अलवर/भरतपुर।
6. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/अलवर/भरतपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
8. सहायक प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. प्रशासनिक अधिकारी/अति0 प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन/संस्थापन।
10. सम्बन्धित..।
11. रक्षित पत्रावली।

28/1/2022

(अनुजा सिंह)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।